



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 426 राँची, शुक्रवार,

4 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-36/2016 का०-3398 -- श्री दिलीप कुमार तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-522/03), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-129 मु0/विधि, दिनांक-09.04.2016 द्वारा वादी श्री भिखारी भूईयां, पिता-स्व0 वधु भूईयां, ग्राम-मनोहरी टोले, पंचायत-हरिहर उरवदाना, थाना-टंडवा, जिला-औरंगाबाद द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के न्यायालय में दायर परिवाद पत्र के आधार पर दर्ज नवीनगर थाना कांड सं0-64/2003 में अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध करवाया गया, जिसमें श्री तिवारी एवं अन्य के विरुद्ध इंदिरा आवास योजना की राशि षडयंत्र कर जालसाजीपूर्वक निकासी एवं गबन करने का आरोप दर्ज है। उक्त थाना कांड में विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं0-48/जे0 दि0 05.12.2016 द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई तथा विभागीय पत्रांक-980 दि0 30.01.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से श्री तिवारी के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया।

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-294/वि0 दि0 29.08.2018 द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध करवाया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया है-

“2000-2001 में नवीनगर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित रहते हुए इंदिरा आवास के लाभकों क्रमशः वाल किशुन भूईयां, किसमतिया देवी, प्रमोद भूईयां एवं भातूर भूईयां के इंदिरा आवास की राशि मो0-40,000/- (चालीस हजार) रू0 का गबन किया तथा अभिलेख गायब कर दिया गया।”

विभागीय पत्रांक-8159 दि0 01.11.2018 द्वारा श्री तिवारी से उनके विरुद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके अनुपालन में श्री तिवारी द्वारा अपने पत्रांक-2532 दि0 27.11.2018 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया, जिसपर विभागीय पत्रांक-9072 दि0 13.12.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से मंतव्य की मांग की गई। पुनः श्री तिवारी द्वारा अपने पत्रांक-615 दि0 11.05.2019 द्वारा एक अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया है, जिसके साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर अपील Criminal Miscellaneous No.-2327/2015 में दि0 16.04.2019 को पारित आदेश की प्रति संलग्न की गई है उक्त अपील में दि0 16.04.2019 को पारित न्यायादेश का ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है -

"For reasons aforesaid, the application is allowed. The entire criminal proceeding arising out of Nabinagar P.S. Case No.-64 of 2003, including the order dated 17.11.2014, by which cognizance has been taken by the Additional Chief Judicial Magistrate, Aurangabad, as far as it relates to the petitioner, stands quashed."

विभागीय पत्रांक-4682 दि0 14.06.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर अपील **Criminal Miscellaneous No.-2327/2015** में दि0 16.04.2019 को पारित आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-693मु0/विधि दि0 04.12.2019 द्वारा इस संबंध में मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें सूचित किया गया है कि -

- (i) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर **Criminal Miscellaneous No.-2327/2015** दिलीप तिवारी उर्फ दिलीप कुमार तिवारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दि0 16.04.2019 को पारित आदेश की कंडिका-13 में "For reasons aforesaid, the application is allowed. The entire criminal proceeding arising out of Nabinagar P.S. Case No.-64 of 2003, including the order dated 17.11.2014, by which cognizance has been taken by the Additional Chief Judicial Magistrate, Aurangabad, as far as it relates to the petitioner, stands quashed."
- (ii) ए0सी0जी0एम0, प्रथम, औरंगाबाद के न्यायालय में संधारित वाद-64/2003 में दि0 20.05.2019 को विद्वान न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें अंकित

है कि “अभिलेख का अवलोकन किया । आवेदक अभियुक्त दिलीप कुमार तिवारी के विरुद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । वाद का निस्तारण किया गया ।”

- (ii) ऊपर वर्णित दोनों न्यायालयों के आदेश के आलोक में श्री तिवारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र-‘क’ पर मंतव्य देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री तिवारी के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री तिवारी के विरुद्ध गठित प्रपत्र-‘क’ का आधार उनके विरुद्ध दर्ज नवीनगर थाना कांड सं0-64/2003 है एवं उक्त कांड के आधार पर चल रही न्यायिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है । अतः समीक्षोपरांत श्री दिलीप कुमार तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-522/03), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद, सम्प्रति-सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
